International Research Journal ISSN-0975-3486 RNI : RAJBIL 01488 VOL. I * ISSUE—2

शोध पत्र

Oct-Nov—2009

दहेज मृत्यु : हत्या या आत्महत्या

*डॉ.(श्रीमती) व्ही. सेनगुप्ता

*सहायक प्राध्यापक, टी.सी.एल.शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर, छत्तीसगढ़

जिस बेटी की चुहल कदमी से धरा भी हिलती–डुलती है। घर की उस चिराग को बोझ समझता है।

जो वर्तमान में आज पुरूश (पति) बन खड़ा है उसे भी किसी स्त्री ने ही जना है। वह हैवानियत की सीढ़ी लांघकर दहेज मांगता फिरता है। लानत है उस व्यक्ति पर, समाज पर जो दहेज मांगता फिरता है। उस मासूम सी बेटी को दहेज के तराजू में तौलता है।

नारी सतत पूज्या, भारत की जीवन दायिनी है।
भरण पोशण करती वह बच्चों की कामायनी है।।
बेटी जीवन पुरूशों से, झड़गए सु ोभित पराग।
उजड़ गई निरीह कुटी, तरूण हुई जा कर प्रयाग।।

दहेज बेदी में न जाने मेरे इस दे । की कितनी बालाएँ रोज कुर्बान होती है। मुझे ग्लानी से भर दिया विव्हलित कर दिया, विचलित भी।

नारी जगत की श्रद्धा, आग लगाया क्यों आंचल?
लिपट गई रानी बिटिया प्रखराग्नि के प्रतिज्वाल।।
नारी दहेज बेदी में, अब कभी न आग लगाना।
जीव दया परमार्थ में निज जीवन सफल बनाना।।

दहेज मृत्युः हत्या या आत्महत्या

दहेज मौतों के मामलों में अब यह प्र न प्रमुखता से उठने लगा है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का। एक ऐसी ही मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसमें पंजाब उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को 20 वर्शीय वधू की हत्या करने के आरोप से दोशमुक्त कर दिया था। भाि ाबाला नाम की युवती को मृत्यु, विवाह के केवल 18 माह बाद ससुराल में हुयी थी। डॉक्टर ने पति और सास–ससुर और देवर का कहना था कि उसने मिट्टी का तेल डालकर आत्म हत्या कर ली है और उस समय पति, देवर व ससुर दुकान में थे। डॉक्टर ने अपने बयान में यह कहा था कि गला घोंटने के फलस्वरूप आयी हुई चोटें मृत्यु के पहले की थी और जलने से आयी हुई चोटें मृत्यु के बाद की। डाक्टर के बयान को मानते हुए सत्र न्यायालय ने पति को गला घोंटने का दोशी और भाव को जला कर साक्ष्य समाप्त करने का दोशी पाया और सजा दे दी। पंजाब उच्च न्यायालय ने इस मामले को आत्म हत्या का मानकर अभियुक्तों को दोश मुक्त कर दिया। उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत अपील में यह प्रश्न उठा कि क्या डॉक्टर का बयान वि वसनीय है मृतक को देह 95 प्रति ात जली हुई थी इसलिए गले का कोई दिखाई देने वाले चिन्ह नहीं थे। आंखें आधी खुली हुयी थीं, मुँह बंद था, नाक से खून बाहर आया हुआ था। जीभ में सूजन थी। गर्दन के अन्दर की हड्डी टूटी हुई थी। ये सारी चोटें डॉक्टर के अनुसार मृत्यु के पूर्व की थीं। ह्रदय में दाहिनी ओर गहरे रंग का खून था और बाई ओर थोड़ा सा जगह–जगह हवा के भरे हुए खाली स्थान थे।

जलने की ये सारी चोटें डॉक्टर की राय में मृत्यु के बाद की थीं। जिरह में डॉक्टर को यह सुझाव दिया गया कि मिट्टी का तेल अपने ऊपर छिड़क कर उसने आग लगायी होगी। जब जलने के दर्द से इधर–उधर भागी होगी तो इस प्रकार गिरी होगी कि उसकी गर्दन दीवार के किसी भाग से रगड़ जाने के कारण उसका गला घुट गया होगा। डॉक्टर ने इस बात से इनकार करते हुए यह कहा था कि ऐसी स्थिति में गले की हड्डी नहीं टूटेगी। डॉक्टर ने आगे बताया कि मृत्यु के पूर्व जलने की द ाा में स्वास नली व वायु नलिका में कार्बन के कण पाया जाना जरूरी है जो धुएं से नाक के अन्दर पहुँचते हैं। इस मामले में ऐसे कोई कण स्वास नली में नहीं पाये गये। उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा विधि विज्ञान को अनेक मान्यता प्राप्त कर पुस्तकों के उदाहरणों के आधार पर जलने के मामले के मृत्यु के पूर्व और बाद की चोटों के पहचान के लिए कोई वि ोश लक्षण निश्कर्श के रूप में निकाले और यह माना कि मृत्यु पूर्व जलने के मामले में जले हुए कार्बन के कण वायु नली व भवास नलिका में पाया जाना बहुत खास पहचान है, इसका न

पाया जाना मृत्यु के बाद जलने की पहचान है। हृदय के रक्त में कार्बन डाई हीमोग्लोबिन मृत्यु के पूर्व जलने के मामले में अव य पाया जाएगा। मृत्यु के पूर्व जलने की चोटों में रक्त इन स्थानों की ओर तेजी से भागता है, इस कारण जलने के स्थान पर लालिमा पायी जाती है, जबकि मृत्यु के पूर्व जलने के मामलों में भारीर की चोटों की मरम्मत करने वाले इन्जाइम जले हुए क्षेत्र के आस–पास मरम्मत के लिए उपस्थित हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के इन्जाइम की उपस्थिति जलने के समय की अवधि का प्रमाणी होते है। मृत्यु के बाद जलने के मामले में इन्जाइम नहीं पाये जायेंगे मरने के बाद जलने के मामले जरा भी संक्रमण से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचती है जिसके कारण वहाँ पर प्रोटीन द्रव की अधिकता हो जाती है या सारे बिन्दू के पहले जलने और मृत्यु के बाद जलने की स्थिति को पूर्ण रूपेण स्पश्ट कर देते हैं। इस मामले में डॉक्टरी साक्ष्य से उच्चतम न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचने में सफल हुआ कि जलन की सभी चोटें मरने के बाद की हैं वास्तव में वधू की मृत्यु गला घोंट दिए जाने के कारण हुई थी। इस बाबत डॉक्टर का बयान कि गले की हड्डी टूटना गला घोंटने लगा कि 15 दिन से अधिक का रिमाँड नहीं दिया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावि‍ ाानों की विवेचना करते हुए अपने निर्णय में लिखा कि धारा 167 धरा 56 की पूरक है। किसी भी मामले की विवेचना पहले दौर में 24 घन्टे में पूरी होनी चाहिए, यदि ऐसा सम्भव नहीं हुआ तो गिरफ्तार किए गये व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय पुलिस का कर्त्तव्य है कि उस समय की डायरी की इंद्राज की नकलें भी भेजें ताकि मजिस्ट्रेट यह निर्णय ले सके कि अभियुक्त को हिरासत में रोके जाने की आव यकता है या नहीं। न्यायिक मजिस्ट्रेट पहली बार में अि‍ ाक से अधिक 15 दिन का रिमांड न्यायिक या पुलिस हिरासत के परिवर्तन के एक से अधिक आदे ा हो सकते हैं कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में प्रक्रिया का उपयोग करते हुए केवल एक सप्ताह की हिरासत में रखने की अनुमति का अधिकार है। 15 दिन की पहली अवधि के प चात् दूसरी अवधि का रिमांड केवल न्यायिक हिरासत में ही हो सकता है। पुलिस हिरासत का आदे ा केवल पहले ही 15 दिन की अवधि में हो सकता है। विधि के द्वारा पुलिस हिरासत में अभियुक्त को रोकना उचित नहीं माना जा सकता है। 15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद अभियुक्त को पुलिस हिरासत में नहीं रोका जा सकता है। परन्तु यह प्रतिबन्ध एक ही घटना क्रम के अपराधों की बाबत है। किसी दूसरे घटनाक्रम के अपराधों की बाबत पृथक रिमांड दिया जा सकता हैं 90 दिन में किसी मामले की विवेचना न पूरी होने की स्थिति में या धारा 167(2) के अनुसार 60 दिन की अवधि के बाद अभियुक्त का जमानत पर छूटने का अधिकारी है। इन अवधियों की गणना मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त को हिरासत में रखने की तिथि से की जायेगी। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की तिथि से गणना नहीं की जाएगी। प्रक्रिया सम्बन्धी विधि न्याय के कार्य को अग्रसित करने के लिए है। उसको समाप्त करने के लिए नहीं। इसलिए प्रक्रिया सम्बन्धी विधि प्रावधानों के अर्थ इस दृश्टिकोण के साथ ही किए जाने चाहिए ताकि न्याय को बढ़ावा मिल सके। उच्चतम् न्यायालय ने यह भी स्पश्ट किया कि यह निर्णय दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्राविधानों के आधार पर किया जा रहा है।

दहेज हत्या निवारण हेतु सरकार द्वारा उपाय किए गये है। इस संबंध में दहेज निरोध अधिनियम 1961 पारित किया गया परन्तु पिछले द ाक में विभीशिका ने सामाजिक बुराई के नाम पर एक आपराधिक त्रासदी का रूप धारण कर लिया। परिणाम स्वरूप दहेज निवारण सं ाोधन अधिनियम 1984 जो क्रिवान्वित 2 अक्टूबर 1985 में हुआ जिसके अनुसार वर एवं वधू को विवाह के समय उपहारो की सूची बनानी होगी जिस पर दोनो पक्षो के हस्ताक्षर अनिवार्य है, दहेज हत्याओं के संबंध में भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कार्यवाही कर दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

दहेज निरोधक अधिनियम 1961 : विवाह के लिए किसी भार्त के रूप में नगद धन या वस्तु के लिए जाने को साधारणतः दहेज कह सकते हैं। दहेज लेने–देने या रोकने लिए कानून बनाया गया है।

इस कानून के अनुसार–❖ दहेज लेना और देना अपराध है। ❖ दहेज लेने देने में सहायता करना भी अपराध है। ❖ दहेज मांगना भी अपराध है। दहेज लेने या देने के लिए सजाः ❖ पांच साल तक की कैद। ❖ पंद्रह हजार रूपए तक जुर्माना। ❖ दहेज की रकम अगर पंद्रह हजार से ज्यादा हो तो उस रकम के बराबर जुर्माना। दहेज मांगने की सजा : ❖ कम से कम छः महीने की कैद और जुर्माना।

दहेज का विज्ञापन देने की सजा : ❖ कम से कम छः महीने कैद और पंद्रह हजार रूपए तक जुर्माना। किन्तु, विवाह के समय स्वेच्छा और आर्थिक हैसियत के अनुसार वर या वधु को दी गई भेंट अपराध नहीं है। किन्तु दिए गए उपहारों की एक सूची बनानी होगी, जिस पर वर वधु दोनों के हस्ताक्षर होगें। दहेज से संबंधित अपराधों की ि‍ ाकायत कौन दर्ज करा सकता है? ❖ कोई पुलिस अधिकारी। ❖ कोई व्यक्ति, जो दहेज पीड़ित हो। ❖ दहेज से पीड़ित व्यक्ति के माता–पिता या रिश्तेदार। ❖ सरकार द्वारा मान्य कोई स्वैच्छिक संस्था। ❖ अदालत, जानकारी होने पर स्वयं। ❖ दहेज की रपट लिखाने की कोई समय सीमा नहीं है।

दहेज से संबंधित अपराध : ❖ संज्ञेय है– पुलिस स्वयं तहकीकात कर सकती है, मजिस्ट्रेट के आदे ा की जरूरत नहीं है। पर किसी को गिरप्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदे ा जरूरी है। ❖ गेर जमानती है– यानि, मजिस्ट्रेट के आदे ा के बिना आरोपी को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है। ❖ अक्षमनीय है– यानि, कोई जुर्माना भरने पर अपराधी कैद की सजा से छूट नहीं सकता। छ.ग. की ग्रामीण महिलाओं में दहेज की समस्या एक विकराल रूप से बढ़ता जा रहा है आये दिन समाचार पत्रों में इसकी खबर छपना आम बात हो गई है।

रोकने के उपाय–1. दहेज विरोध कानून को असरदार बनाकर उसको क्रियान्वित करने वाले तंत्र को मजबूत किया जाय। 2. दहेज की मांग करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाय। 3. दहेज के विरोध में ि ाक्षा एवं प्रचार करा एक भाक्ति ााली जनमत तैयार किया जाए। 4. नव युवकों को दहेज का बहिश्कार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। भाादी में कुछ नहीं बहू ही सब कुछ –

भाादी में कुछ नहीं चाहिए,
वह खुद ही दहेज है
दे देंगे आय
तो न उससे परहेज है
अब हमारी भी कुछ इमेज है,
भाादी में कुछ नहीं चाहिए,
वह खुद ही दहेज है
गाड़ी फलां होनी चाहिए
हमारी तो कट गई
आपकी बेटी को घुमाना है
भाादी में कुछ नहीं चाहिए,
वह खुद ही दहेज है
टी.वी.फ्रिज, पलंग तो आय है
घर में ए.सी. हाथ में मोबाइल तो कुछ बात है
आप इन इ ाारों पर गौर फरमाइए
भाादी में कुछ नहीं चाहिए,
वह खुद ही दहेज है

बेटियाँ

घर की बोझ नहीं होती है बेटिया,
बल्कि ढोती है घर का सारा बोझ।
वे है, तो सलामत है आपके कुर्ते के सारे बटन
बची उसकी धवलता उनके होने से ही
चलते है आपके हाथ और आपकी आंखे ढूंढ लेती है
अपनी गुम हो गई कलम
घड़ी हो या छड़ी, च मा हो, या अखबार
किताबे, कोट और जूते सब कुछ होता है यथावत
खाली नहीं रहता कभी, सिरहाने तिपाई पर रखा ग्लास।।
उनके होने से ही, ताजा बनी रहती है घर की हवा
बना रहता है, मन का हरापन
प्रतिदिन घर में होली, दिवाली जैसा माहौल रहता है।

निश्कर्श–भारत में महिलाये तीन स्तर पर एक साथ जी रही है। एक वि िश्ठ वर्ग जिसे भाक्ति चाहिए, दूसरी जिसे अच्छी खासी साधारण जिंदगी की तला ा है, उसके सपने है, जिन्हें पंख लगाती है, तीसरी जिसे पता ही नहीं सत्ता क्या होती है, सपने क्या होते है, अधिकार किस चिड़िया का नाम है, कानून क्या होता है? उसे दो वक्त की रोटी, भाांति से मिल जाये तो नसीब को सराहती है, इस वर्ग की महिलाओं को कल्याण, विका ा और स ाक्तिकरण तीनों स्तर पर एक साथ काम करना है। कई मामलो में मानव अधिकार की क्षति उसी स्थिति में उज्जवल रह सकती है, जब हम उनके सांस्कृतिक तंतु जालों से मुक्ति पाने का सफल प्रयास करे। समाज में सामाजिक, आर्थिक वर्ग आधार पर गहराती खाई को पाटने का प्रयत्न करें। स्त्री ि ाक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार करें, महिलाओं को जागरूक बनाये कानूनों की जानकारी दे तो निःसन्देह नये युग का प्रादूर्भाव होगा।

अभी लक्ष्य दूर है– कवि दिनकर का कथन हैं– ''लक्ष्य दूर है और विकास धीमे–धीमे चलता है इस वि ााल तरू में फल सदियों बिना नहीं फलता है।''

दहेज से हानि–सामाजिक वर्ग की बदनामी, बेटियों को आत्महत्या के लिए मजबूर कनना, व्यवसाय की तरह खेलना, दहेज को रोकने के लिए वर्तमान कानून में सामाजिक व्यवस्था को सुध ाारने की पूर्ण आव यकता है तथा दहेज रोग पर पूर्ण कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाय। दहेज एक भेंट है इसे दहेज का दर्जा नही देना चाहिए वर्तमान समय में सभी ि ाक्षित वर्ग में आते है तथा इन्हे समझाने की जरूरत नहीं है हर घर में अपनी बेटी जरूर होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. स्त्री उपेक्षिता–सीमोन बोउबर 2. कुरूक्षेत्र–मई 1999, मार्च 2005 3. विकास योजनाऍ, वर्श 2004–05 छ.ग. भाासन 4. रोजगार नियोजन 5. जनसत्ता 6. नवभारत 7. दैनिक भास्कर 8. सहारा समय 9. मानवाधिकार– डॉ.अंबिका प्रसाद वर्मा 2005–06 राश्ट्रीय भाोध संगोश्ठी और पत्रिका 10. आजकल–अगस्त 2006 11. साहित्य और संस्कृति का नियोजक